न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 46 / 2019

ए. एन. स्कूल शिक्षा समिति, पता राधा स्वामी बाग, चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर जरिये सचिव श्रीमती सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री बलवीर सिंह चौधरी, जाति—जाट।

अपीलान्ट,

बनाम

1. श्रीमती मंजु देवी पत्नी श्री गंगाराम, जाति—मीणा, निवासी—गुवारडी, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, चौमू, जिला—जयपुर नामान्तरकरण सं0 434 दिनांक 15.07.2010)

उपस्थितः—
1. श्री हरलाल सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.01.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम लोहरवाडा के ख0नं0 1021 / 8 / 2 रकबा 0.35 हे0 का जिला कलक्टर, जयपुर का आदेश क्रमांक आर 18बी (19) / 8 / शैक्ष / 18300 दिनाकं 23.05.2008 द्वारा कृषि भूमि का राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) परिवर्तन कराये जाने के पश्चात् तहसीलदार, चौमू द्वारा नामान्तरकरण स0 434 दिनांक 15.07.2010 में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ का अंकन करने के स्थान पर गैर—मुमकिन स्कूल का अंकन करने के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, चौमू से प्रकरण से संबंधित मूल नामान्तरकरण प्राप्त किया गया।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख0नं0 1021 / 8 / 2 रकबा 0.35 हे0 ग्राम लोहरवाडा, तहसील—चौमू की भूमि को रेस्पोडेन्ट सं0 1 श्रीमती मंजू देवी द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक आर 18बी (19) / 8 / शैक्ष / 18300 दिनाकं 23.05.2008 द्वारा कृषि भूमि का राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) परिवर्तित कराया गया था। उक्त संपरिवर्तित भूमि को अपीलान्ट के पक्ष में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2009 को अपीलान्ट को विक्रय कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में

तहसीलदार, चौमू द्वारा नामान्तरकरण सं0 434 दिनांक 15.07.2010 को तस्दीक किया गया, परन्तु नामान्तरकरण के कॉलम सं0 12 में वादग्रस्त भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अंकन ना करते हुए सवहन से गैर–मुमकिन स्कूल का अंकन कर दिया है। जबकि वादग्रस्त भूमि का तो रूपान्तरण जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। तहसीलदार द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण के कॉलम सं0 12 में पटवारी हल्का द्वारा गैर–मुमकिन स्कूल के अंकन के स्थान पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अंकन किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन नामान्तरकरण नियम विरूद्ध तस्दीक किया गया है। अतः तहसीलदार, चौमू द्वारा नामान्तरकरण स0 434 दिनांक 15.07.2010 विधि विरूद्ध तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किया जावें।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि वादग्रस्त नामान्तरकरण के बारे में उन्हे पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट को कॉलेज की मान्यता हेतु वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण की नकल की आवश्यकता होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 23.09.2019 को नकल निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम सं0 12 में सवहन से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के स्थान पर गैर–मुमकिन स्कूल का इन्द्राज हो गया है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार मानते हुए अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माना जा कर अपील स्वीकार की जावें।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि की किस्म चाही 3 से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होने के कारण गैर–मुमकिन स्कूल सवहन से अंकित की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट के कथनानुसार उनके द्वारा दिनांक 23.09.2019 को वादग्रस्त नामान्तरकरण की नकल निकलवानें पर उन्हे अपीलाधीन नामान्तरकरण में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के स्थान पर गैर–मुमकिन स्कूल होने की जानकारी हुई और उनके द्वारा जानकारी होने के पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.09.2019 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जान–बूझकर देरी नही की गई है। अतः प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानते हुए डिले कन्डोन किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध संपरिवर्तन आदेश क्रमांक आर 18बी (19)/8/शैक्ष/18300 दिनाकं 23.05.2008 से यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन किया गया है। तहसीलदार, चौमू द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण में जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि की किस्म चाही 3 के स्थान पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अंकित किया जाना था, परन्तु तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध गैर–मुमकिन स्कूल अंकित किया गया है जो अनुचित है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, चौमू को प्रकरण प्रति–प्रेषित किया जा कर निर्देशित किया जाता है कि वे जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक आर 18बी (19)/8/शैक्ष/18300 दिनाकं 23.05.2008 की पालना करते हुए विधि अनुरूप पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

22.1.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर